संख्या-06/2024/378 /84-1-2024-84-1002(099)/177/2019

प्रेषक,

अभिषेक गोयल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ ।

उपभोक्ता मामले अनुभाग-। लखनऊ: दिनॉक: 13 मई, 2024

विषय:- विधिक माप विज्ञान के 18 वरिष्ठ निरीक्षक, जनपदों यथा सोनभद्र,सिद्धार्थनगर,संत रविदासनगर, महोबा, अम्बेडकरनगर, ज्योतिबाफुले नगर (अमरोहा), चित्रकूट,हाथरस, गौतमबुद्धनगर, बलरामपुर, संतकबीरनगर, औरैया, कन्नौज, कासगंज, अमेठी, शामली, हापुड़ तथा सम्भल में स्थापित कार्यमानक प्रयोगशालाओं में 18 अस्थाई पदों का स्थाईकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया विधिक माप विज्ञान के 18 वरिष्ठ निरीक्षक, जनपदों यथा सोनभद्र,सिद्धार्थनगर,संत रविदासनगर, महोबा, अम्बेडकरनगर, ज्योतिबाफुले नगर (अमरोहा), चित्रकूट,हाथरस, गौतमबुद्धनगर, बलरामपुर, संतकबीरनगर, औरैया, कन्नौज, कासगंज, अमेठी, शामली, हापुड़ तथा सम्भल में स्थापित कार्यमानक प्रयोगशालाओं में 18 पदों के अन्तर्गत संलग्नक मे उल्लिखित अस्थाई पदों को दिनांक 01.03.2024 से स्थाई पदों में परिवर्तित किये जाने की अनुमति प्रदान करती हैं।

2- उक्त पदों के पदधारकों शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते ,जो उन्हें अनुमन्य हों,भी देय होंगे ।

3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त स्थाई पदों को दिनांक 01.03.2024 से स्थाई पदों में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप संलग्नक के कालम-6 के उल्लिखित शासनादेश संख्या-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

09/2015/216/84-1-24बामा(बजट)/ 2010, दिनांक 24 मई, 2015 को, जिनमें इन पदों को वर्ष 2015 में दिनांक 29 फरवरी,2016 16तक अस्थाई रूप से चलने रहने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, थी,इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा कि उक्त पद की निरन्तरता केवल दिनांक 29.02.2024 तक के लिये ही दी गयी थी।

4- उक्त पदों पर होने वाला व्यय आय-व्यय के अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक" 3475-3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106-भार और माप का विनियमन-03-अधिष्ठान व्यय के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों में डाला जायेगा।

5- प्रमाणित किया जाता है कि इन पदों का स्थाईकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-797/दस-87-24(12)(12)-86, दिनांक 25 मई,1987 में निहित शर्तो की पूर्ति के बाद किया जा रहा है।

भवदीय,

(अभिषेक गोयल)
विशेष सचिव।

संख्या- 06/2024/378 /84-1-2024-84-1002(099)/177/2019 तद्दिनांक:

प्रतिलिप: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,उ0प्र0प्रयाराज।
2- वित्त, (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग ।
3- वित्त, (वेतन-आयोग) अनुभाग-1 ।
4- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(अरविन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक

शासनादेश संख्या-06/2024/378 /84-1-2024-84-1002(099)/177/2019,दिनांक 13.05.2024 द्वारा विधिक माप विज्ञान के 18 वरिष्ठ निरीक्षक, जनपदों यथा सोनभद्र,सिद्धार्थनगर,संतरविदासनगर, महोबा, अम्बेडकरनगर, ज्योतिबाफुलेनगर (अमरोहा), चित्रकूट,हाथरस, गौतमबुद्धनगर, बलरामपुर, संतकबीरनगर, औरैया, कन्नौज, कासगंज, अमेठी, शामली, हापुड़ तथा सम्भल में स्थापित कार्यमानक प्रयोगशालाओं में दिनाक 01.03.2024 से स्थायी किये गये पदों का विवरण:-

क्र0 सं0	पद नाम	स्थाई किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूल रूप में सृजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अंतिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्य स्वीकृत किया गया था	अभ्युक्ति यदि कोई,हो
1	वरिष्ठ निरीक्षक	18	9300-34800 ग्रेड पे रू0 4600/-	संख्या-09/2015/216/84-1-24बामा(बजट)/2010, दिनांक 24 मई, 2015	संख्या- आई/471395//84-1-84-1002(099)/177/2019, दिनांक 15-1-2024	

(अरविन्द्र सिंह)
अनु सचिव।
उपभोक्ता ममाले विभाग ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।